


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.126/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिलमें जारी हुए
18.01.2024 CA [Signature]	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र केसाराम, जाति- कुमावत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म आर.के. प्रोविजन स्टोर, छावनी तहसील रोड़, शिवगंज, जिला- सिरौही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.3.2023 को फर्म आर.के. प्रोविजन स्टोर, छावनी रोड़, शिवगंज, जिला- सिरौही में प्रतिवादी रमेश कुमार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Vegetable sauce (Tiluram's Brand) का नमूना संख्या S-2042 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./415/Act/2023/459 दिनांक 14.3.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी ने नियत सुनवाई तिथि 10.1.2024 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को दिनांक 10.1.2024 को ही सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में ऐसी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही द्वारा दिनांक 01.3.2023 को खाद्य पदार्थों के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र श्री केसाराम, जाति- कुमावत की फर्म आर.के. प्रोविजन स्टोर, छावनी तहसील रोड़, शिवगंज में प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र श्री केसाराम कुमावत से दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Vegetable sauce (Tiluram's Brand) की 19 पैक बोतलों (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ Vegetable sauce (Tiluram's Brand) की 4 पैक बोतलों (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ Vegetable sauce (Tiluram's Brand) के नमूना संख्या S-2042 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की</p>	



[Signature]
प्रति. जिला सिरौही
सिरौही-307001.



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.126/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस म की तामिलमें जारी हुए
	<p>जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./415/Act/2023/459 दिनांक 14.3.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी रमेश कुमार ने खाद्य पदार्थ Vegetable sauce (Tiluram's Brand) के क्रय का बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र श्री केसाराम कुमावत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म आर.के. प्रोविजन स्टोर, छावनी तहसील रोड़, शिवगंज, जिला- सिरौही ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Vegetable sauce (Tiluram's Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Vegetable sauce (Tiluram's Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र श्री केसाराम, जाति- कुमावत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म आर.के. प्रोविजन स्टोर, छावनी तहसील रोड़, शिवगंज, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित किया जाता है। प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र श्री केसाराम, जाति- कुमावत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म आर.के. प्रोविजन स्टोर, छावनी तहसील रोड़, शिवगंज, जिला- सिरौही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 21.2.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (डॉ.भास्कर बिश्नोई) वति. जिसा बजिस्ट्रेट सिरौही-307001. </p>	

